कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर, जिला– सक्ती (छ.ग.)

क्रमांक 161 /अ. व्या./2025 चन्द्रपुर,दिनांक 25.07.2025

//अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर के विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ 3–54 /स्था. 2020/38–1 20.06.2024 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 तथा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रं. 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर, अटलनगर दिनांक 23.07.2025 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क. File no.: ESTB- 1027/1216/2025/ 38-1 नवा रायपुर, अटलनगर दिनांक 23.07.2025 के अनुसार **शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर जिला – सक्ती** में विषय **गणित** में अध्यापन हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक **04.08.2025** को सायं **05:00** तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं कियो जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याताओं को कार्य करने के लिए न्यून्तम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिएं स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अन्य पिछडा वर्ग (असम्पन्न वर्ग), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय / पद का विवरण :–

क्रं	विषय	रिक्त पद एवं संख्या
		सहायक प्राध्यापक
01	गणित	01

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति /नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पदो के विरूध्द कार्यरत अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

4. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12वीं,स्तातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल/पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. दिनांक **04.08.2025** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थि होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई – मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाइन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में ऑनलाइन स्वीकार करने की इस प्रकिया में आनलाइन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभावित होगा।
6. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
7. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक **05.08.2025** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जावेगा।
8. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **06.08.2025** तक होगी।
9. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **07.08.2025** को किया जावेगा। जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जावेगा।
10. आमंत्रित अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूध्द पुलिस अथवा न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधिन नहीं है। साथ ही अभ्यार्थी किसी अन्य शासकीय/अर्ध्दशासकीय

सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में शिकायत / कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

11. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
12. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
13. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत **अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार मानदेय** दिया जायेगा।
14. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर, ग्राम – गोपालपुर, जिला– सक्ती (छ.ग.) 495692 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
15. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलाऐंगे।
16. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
17. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
19. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी। तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

25/7/2025

Principal
प्राचार्य
Naveen College Chandrapur
शासकीय नवीन महाविद्यालय, चन्द्रपुर
District - Sakti (C.G.)
जिला - सक्ती (छ.ग.)